# कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून जनपद देहरादून

पत्रांक 1178/

दिनांक 26/6/, 2015

# वनाधिकार अधिनियम—2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपजिलाधिकारी विकासनगर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(राम अविधार सिंह) जिला समाज कल्याण अधिकारी

देहरादून

प्राटक काश्री) प्रभागीय वनाधिकारी, वेहस्पद्भ वन प्रभाग वेहस्पद्भ

(रविनाथ रमन) जिलाधिकारी, Districदास्यक्रम्मारबाट

पृ०सं० ....../दिनांक प्रतिलिपि:-- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> जिलाधिकारी देहरादून

#### प्रारुप-30

## (वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

# FORM-1 (for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Debra Dun.

No-1178

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

Dated 26/6/15

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1.. to 7. annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have

given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Dehra Dun.

### FORM-II (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Dehra Don.

No---

Date----

#### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 23.75 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttrakhand forest Deverpment (appointment of user agency) for Extraction of Rejavala, Rampyr Kala, village (s) in.... tehsils. Vikah Nagarr

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1...to 7..annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of ... Rejawala ..... villages(s) is enclosed as annexure. A... to annexure. 7...
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehra Dun.

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT Debra Dvo. (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Dehra Dun Dated: .....

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committee

District Magistrate
Dehra Dun.

# परियोजना का नाम :- स्वारना, में उपखनिज चुगान।

### कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर। अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर।

उपखण्ड विकास नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज चुगान हेतु (23.75 है0 आरक्षित वन भूमि, — है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि — है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 23.75 है0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 22,5 िं को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अस्माहन सिंह जीनिया, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजिन की गयी। बैठक में माननीय स्वरयों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभागनिका जनुमति से कैं की स्वारना नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 23.75 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निक्तापूर्योहिती के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड विकास नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 23.75 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

> उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील–विकासनगर जनपद –देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील–विकासनगर जनपद– देहरादून परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान।

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम - प्राञाबाल। तहसील विकास नगर, जिला देहरादून

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज की खारना नदी, में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (23.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि —हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 23.75 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

पंचायत विकास

ग्राम सिविब्द्ड-सहसपुर

मुहर सहित देहरादून

ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित

# दिनांक ... 0-5-15को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत राजाला

TIERT INOL
endirole
noirol
14
14
14
7
2
1
0 941217194
H plant of all
4-10121042
- '
6
-



परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान।

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम राज्यप्रकर्ण तहसील विकास नगर, जिला देहरादून

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज की खारना नदी, में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (23.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि —हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 23.75 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत् किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ब्राह्म किया विनांक किया में ग्राम पंचायत किया में ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / – ग्राम सचिव मुहर सहित



# दिनांक . का ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....रामप्र कला

	<10	192 and)
4 5 6 7	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों वे भी भारता पिंड भी शार शाल भी हा की म भी हा की म भी शार मां	44711-1C 44711-1C 44711-1C 501 501 501 515-51 515-51
6 7	510 21E0101	218010
9	भी शहराव भी अला2म भी शिस्म	218 GION 14 218 GION
	2011 Col on	2011 2 2
4 5	•	

